शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 49 अंक-32 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 29-05 अगस्त 2024 मूल्य पांच रूपये

कौन पहले जांच पूरी करेगा शिमला पुलिस या ईडी

- धन बल का आरोप यदि प्रमाणित हो जाता है तो उसका प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ेगा।
- यदि यह आरोप प्रमाणित नहीं होता तो मानहानि मामलों पर असर पढ़ना तय है
- क्या ईडी का दखल शिमला पुलिस को रोक पायेगा?

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए इस वर्ष फरवरी में हुये चुनाव में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया था। क्योंकि कांग्रेस के छः और तीनों निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया। राज्यसभा चुनाव के लिए कोई भी राजनीतिक दल अपने विधायकों को सचेतक जारी करके किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता यह नियम है। इसी नियम का सहारा लेकर छः कांग्रेसियों ने अपनी नाराजगी रिकॉर्ड पर लाने के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में इस बजट पर मतदान के समय गैर हाजिरी रहना करार देकर इन लोगों को सदन और विधायकी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह सभी लोग भाजपा में शामिल हो गये और भाजपा ने इन्हें उपचुनाव के लिये अपना उम्मीदवार भी नामित कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान करीब एक माह यह लोग अपने चुनाव क्षेत्रों और प्रदेश से भी बाहर रहे। इस बाहर रहने पर जो खर्च हुआ उसे कांग्रेस ने भाजपा के ऑपरेशन कमल की संज्ञा दे दी। एक एक विधायक को पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ दिए जाने का आरोप लगा और यही आरोप उप चुनावों की मुख्य मुद्दा बना। बल्कि कांग्रेस के दो विधायकों संजय अवस्थी और भूवनेश्वर गॉड ने बाकायदा बालूगंज थाना में शिकायत देकर आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया। यह मामला विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया।

अब इस मामले की जांच चल रही है। इस जांच में विधायक आशीष शर्मा को पुलिस दो बार पूछताछ के लिये बुला चुकी है। राकेश शर्मा और पूर्व विधायक रवि ठाकुर और तथा चैतन्य शर्मा से घंटों पुलिस पूछताछ कर चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी से भी बालूगंज में पूछताछ हो चुकी है। माना जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले सभी लोगों को देर सवेर पूछताछ के लिये बुलाया ही जायेगा। पुलिस अब तक की जांच में यह पता लगा चुकी है कि चण्डीगढ़ में इनके ठहराव के दौरान का सारा बिल एक फार्मा कंपनी ने अदा किया है और उसके तार खट्टर के प्रचार सलाहकार तक पहुंच रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर कंपनी ने इन विधायकों को हवाई यात्राएं कारवाई उसके मुख्यालय गुरुग्राम भी हिमाचल पुलिस दस्तक दे आयी है। हेलीकॉप्टर कंपनी के यहां जाने पर काफी विवाद भी उठ चुका है। जिसमें दोनों प्रदेशों के शीर्ष पुलिस प्रबंधन को भी बीच में आना पड़ा है। हिमाचल पुलिस की जांच का मुख्य बिन्दु यह पता लगाना है कि क्या हिमाचल सरकार को गिराने के लिए धनबल का प्रयोग हुआ। यदि हुआ तो यह खर्च किसने किया? जब उपचुनावों के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इन लोगों के खिलाफ पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ में बिकने का आरोप लगाया था तब कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मामले भी दायर किये हैं। इन मामलों में प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यदि हिमाचल पुलिस इस सारे खेल में धन बल का प्रयोग होना प्रमाणित नहीं कर पाती है तो मानहानि के मामलों में स्थिति नाजुक होना तय है।

हिमाचल पुलिस यदि धनबल का प्रयोग होना प्रमाणित कर देती है तो निश्चित रूप से उसकी आंच भाजपा हाईकमान तक भी पहुंचेगी। क्योंकि आरोप पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ देने का है। उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा थे। उन्हीं की संस्तुति से यह लोग भाजपा में शामिल हुए और उपचुनाव में उम्मीदवार भी बने। धन बल के सहारे किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का प्रयास करना न केवल निन्दनीय है बल्कि यह गंभीर अपराध भी है। इसके प्रमाणित हो जाने का असर भाजपा के भविष्य पर भी पड़ेगा यह तय है। यदि यह आरोप प्रमाणित नहीं हो पाते हैं तो इसका सीधा प्रभाव मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर हुए मानहानि के मामलों पर पढ़ना तय है। इसी बीच हिमाचल में ईडी और आयकर जैसी एजैन्सीयां दखल दे चुकी है। नादौन में तीन बार ईडी आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के हाथ लगे मामले बहुत ही गंभीर हैं। ऐसे में राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में यह आम चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिमाचल पुलिस अपनी जांच को पहले अंतिम रूप दे पाती है या ईडी अपनी धरपकड़ की प्रक्रिया पर अमल कर पाती है। या दोनों ही ओर से हथियार डाल दिये जाते हैं। वैसे इस प्रकरण पर प्रदेश के हर आदमी की नजर लगी हुई है।

हाटियों को एसटी दर्जा मिलने के बाद भी सुक्खू सरकार कर रही है आना कानी

शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हाटी समुदाय का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से लोकसभा कार्यालय में मुलाक़ात की। प्रतिनिधि मण्डल ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। प्रतिनिधि मण्डल ने हाटी समुदाय को संविधान संशोधन से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा क़ानून को लागू न किए जाने के बारे में भी गृहमंत्री को अवगत करवाया।

प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि

क़ानून बने एक साल से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला है। इस क़ानून को लागू करने में सुक्खू सरकार द्वारा हर कदम पर रोड़े अटकाए गये हैं। कांग्रेस नीत सुक्खू सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही हाटी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बने क़ानून में हर तरह से व्यवधान डाला गया है। जिसके कारण हाटी समुदाय को संसद द्वारा पारित किए गए क़ानून का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। प्रतिनिधि मण्डल ने गृहमंत्री से जल्दी से जल्दी हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने वाले क़ानून को लागू करवाने का निवेदन भी किया। प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ सिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर, प्रोफेसर अमीचंद, कुन्दन सिंह, रन सिंह और अतर सिंह नेगी शामिल रहे।

राज्यपाल ने आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर दिया बल

शिमला/शैल। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप

शुक्ल ने आम लोगों से जुड़ने, संचार के साधनों का बेहतर उपयोग करने तथा केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय में राज्यपालों की भूमिका पर अपनी प्रस्तुति दी।

राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राज्य में जिला स्तर पर विभिन्न अवसरों के दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया है। उन्होंने मौके पर ही लोगों की समस्याओं के निवारण के संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों पर जनता द्वारा आवश्यक मांगें भी प्राप्त हुई, जिन पर रेडक्रास और विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की जाती रही है। उन्होंने कहा कि राजभवन की इस पहल के बाद विभिन्न जिला एवं राज्य स्तरीय आयोजनों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम, नि:क्षय मित्र आदि योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है। आपदा राहत के दौरान भी लोगों से काफी सहयोग प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर और लाहौल-स्पीति के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के दौरान सेना के अधिकारियों ने भी स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए जिला प्रशासन को उचित दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिलों के दौरों के दौरान उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी योजनाओं एवं कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शुक्ल ने कहा कि उनका प्रयास रहा है कि राजभवन और जनता के मध्य संवाद की भावना का निर्माण हो। इसके दृष्टिगत राजभवन को प्रत्येक शनिवार और रविवार को आम जनता के लिए खोला गया है।

राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को 'शाइनिंग स्टार अवार्ड' प्रदान किए

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में इंगलिश डिजिटल न्यूज चैनल 'द न्यूज रडार' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेधावियों को 'शाइनिंग स्टार अवार्ड' से सम्मानित किया। उन्होंने कहा आदर्श मूल्य विकसित हो सके। इस अवसर पर उन्होंने शिमला जिला के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

शुक्ल ने कहा कि मेधावी विद्यार्थी

कि 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों की मजबूत नींव उनके व्यक्तित्व निर्माण और समग्र विकास में सहायक सिद्ध होती है। रचनात्मक विधाओं से विद्यार्थियों को नशे से दूर रख कर उनकी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनमें परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता के बल पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन के लिए उन्होंने डिजिटल न्यूज चैनल के प्रबंधन को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर मे

बान का पौधा रोपकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष वन विभाग ने प्रदेश में नौ हजार हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत वन रक्षक स्तर पर दो पेड़ और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है।

रैखिक परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण अधिनियम के प्रथम चरण की स्वीकृति के पश्चात परियोजना के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ-साथ वन विभाग के वन अधिकारियों को भी शक्तियां सौंपने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन विभाग ई-फॉरेस्ट सॉफ्टवेयर की बीटा टेस्टिंग का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता को बढ़ाना है।

उन्होंने वन क्षेत्र में फलदार पौधों के रोपण को 30 से बढ़ाकर 60 फीसदी करने पर बल दिया, जिसके आगामी दस वर्षों में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और निगम ने बीते वर्ष 15 हजार क्षतिग्रस्त पेड़ों को प्रसंस्कृत किया, जिससे लकड़ी की बिक्री से राजस्व प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की रॉयल्टी आय मात्र डेढ़ वर्ष में 35 से बढ़कर 70 करोड़ रुपये हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक रणनीतिक फैसला लेते हुए वन विभाग की निर्माण शाखा को बंद करने का निर्णय लिया और इसे वानिकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पीति में महिला मंडल बढ़चढ़ कर पौधरोपण गतिविधियों और वन संरक्षण में शामिल हो रहे हैं, जिससे महिलाओं के समूहों को राजस्व सृजन के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के तहत विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग सहित प्रदेश के अन्य विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिससे कार्यशैली में सुधार होने के साथ ही लोगों को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में वन विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्य चयन आयोग विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करेगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आयोग फॉरेंसिक्स सेवाएं विभाग में लैब असिस्टेंट बायो एंड सीरोलॉजी पोस्ट कोड (961), भू-रिकॉर्ड विभाग में असिस्टेंट कम्प्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 966), तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग में होस्टल अधीक्षक एवं पीटीआई (पोस्ट कोड 968), खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में इंस्पेक्टर लीगल मेटिरियोलॉजी पोस्ट कोड 969), मत्स्य विभाग में मत्स्य अधिकारी पोस्ट कोड 978) और मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग में कॉपी होल्डर पोस्ट कोड 982 के परिणाम सहित धर्मशाला नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर पोस्ट कोड 986), हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम में असिस्टेंट केमिस्ट पोस्ट कोड 987, वर्कशॉप इंस्पेक्टर वेल्डिंग पोस्ट कोड 991, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पैट्रन मेकिंग पोस्ट कोड 992, वर्कशॉप प्रशिक्षक मशीनिस्ट पोस्ट कोड 993, मनोवैज्ञानिक एवं पुनर्वास अधिकारी पोस्ट कोड 994, तकनीकी शिक्षा में वर्कशॉप प्रशिक्षक पोस्ट कोड 997, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड में आशुटंकक पोस्ट कोड 995, हिमाचल पथ परिवहन निगम में जेओए अकाउंट्स पोस्ट कोड 996, विधि अधिकारी पोस्ट कोड 999, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर जेओए आईटी पोस्ट कोड 1000, हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग में कनिष्ठ आशुलिपिक पोस्ट कोड 1001, सहकारिता विभाग में किन्नौर जिला सहकारी विपणन एवं संघ लिमिटेड टापरी में सचिव पोस्ट कोड 1002, जेई आरकियोलॉजी पोस्ट कोड 1004 तथा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में प्रिज़र्वेशन असिस्टेंट पोस्ट कोड 1006 के परिणाम घोषित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के उपरांत प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 30 हजार पद सृजित किए गए और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल ठगने का काम किया और पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल 20 हजार नौकरियां सृजित की गई, जिनमें से अधिकतर कानूनी दाव-पेच में फंस गई।

बागवानी और कृषि विश्वविद्यालय ने संयुक्त अनुसंधान और एक्सचेंज कार्यक्रमों के लिए किया समझौता

शिमला/शैल। सहयोग बढ़ाने और अनुसंधान प्रयासों को कारगर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में हिमाचल के दो प्रमुख राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने बुधवार को एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी और चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए हैं। इस समझौते का उद्देश्य पारस्परिक हित के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान प्रोजेक्ट, संकाय और छात्र एक्सचेंज कार्यक्रमों, संयुक्त सम्मेलनों, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना होगा।इस समझौते पर नौणी विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान और कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. सुरेश उपाध्याय ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डीके वत्स की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

इस अवसर पर नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि यह समझौता दोनों संस्थानों को अनुसंधान प्रयासों की डुपलिकेशन से बचने और संयुक्त गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने में मदद करेगा। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में छात्रों को एक दूसरे के विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई का कुछ हिस्सा पूरा करने का अवसर देगा। प्रोफेसर चंदेल ने इस समझोते के तहत आपसी अनुसंधान हित के क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को विकसित करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उच्च प्रभाव वाले प्रकाशनों और पेटेंट को बढ़ाने के लिए, दोनों विश्वविद्यालय अपने प्रमुख अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, जिससे प्राथमिकता वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में उनका सहयोग तेज होगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ

शिमला/शैल। श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पात्र युवाओं को अनुदान के लिए आवेदन करने और इसका लाभ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि http://www.rgssy.com पोर्टल पर जाकर युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी उद्यमशीलता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत हिमाचल के युवाओं को अनुदान के रूप में प्रोत्साहन, रियायतों और अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। परिवहन विभाग के जिन पात्र आवेदकों की पहचान कर श्रम एवं रोजगार विभाग को सिफारिश की है, वे ई-टैक्सी की खरीद के लिए पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां प्रदान करने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि प्रदेश में कैंसर से ग्रसित मरीजों को मुफ्त दवाइयां प्रदान की जाएंगी और उनका इलाज भी पूरी तरह से निःशुल्क पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पल्लिएटिव केयर प्रोग्राम की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आये हैं। हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह चिंता का

विषय है तथा इसी के दृष्टिगत कैंसर के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए यह क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा विभिन्न सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को उनके उपचार के लिए 42 दवाइयां मुफ्त प्रदान करेगी। इन दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। इन दवाइयों में कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला ट्रासटूजुम्ब टीका भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये होती है। ब्रैस्ट कैंसर के मरीज को इलाज के लिए वर्ष में ऐसे 18 टीकों की आवश्यकता होती है। इस टीके को उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक मरीज पर प्रदेश सरकार लगभग सात लाख रुपये व्यय करेगी। ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों में लोगों के घर-द्वार के समीप उपलब्ध करवाई जाएंगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 300 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए। इसके तहत 75 करोड़ रुपये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कैंसर केयर हमीरपुर की आधारभूत संरचना, 75 करोड़ रुपये चमियाणा शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा तथा 150 करोड़ रुपये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर में विश्व स्तरीय कैंसर उपचार उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान दे रही है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार कैंसर डे-केयर सेंटर चरणबद्ध तरीके से स्थापित कर रही है। प्रथम चरण में 13 अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके दूसरे चरण में 27 हाई लोड सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह सेंटर स्थापित होंगे और तीसरे चरण में 28 संस्थानों में डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कैंसर डे-केयर केन्द्रों में पेल्लीएटिव केयर यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर में स्थापित किए जाने वाले कैंसर केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यहां न्यूक्लियर मेडिसन का विशेष विभाग स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी क्षमता की न्यूक्लियर लैब और साइक्लोट्रोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल सुपर स्पेशिएलिटी संस्थान चमियाणा में बोन मैरो ट्रांसप्लाटेशन की सुविधा भी आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री आरंभ की जाएगी। इसके तहत कैंसर के मामलों व संख्या का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों में कैंसर के मामलों की स्क्रीनिंग के लिए एक जिला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने बैठक में बहुमूल्य सुझाव दिए।

शानन परियोजना को वापिस लेने के लिए जारी हैं गंभीर प्रयासः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला मंडी के जोगिन्द्रनगर में 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर जारी कानूनी लड़ाई के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का मामला मजबूती से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों को वापिस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है।

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान शानन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। वर्ष 1925 में मंडी के तत्कालीन राजा जोगिन्द्र बहादुर और पंजाब के मुख्य अभियंता के बीच 99 वर्षों के लिए लीज़ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। उस समय से ही इसका प्रशासनिक अधिकार पंजाब के पास है। इस वर्ष 2 मार्च, 2024 को लीज़ समाप्त हो गई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र अधिकार में हैं और पंजाब सरकार को अविलम्ब इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश को लौटा देना चाहिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कानूनी कारवाई को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार परियोजना को हासिल करने के लिए एक मजबूत मामला तैयार कर रही है।

सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ की राशि स्वीकृत:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया कर्मियों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश में आपदा से हुए

नुकसान, क्षतिग्रस्त पुलों एवं सड़कों के बारे में जानकारी दी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारी बारिश एवं बादल फटने के कारण प्रदेश में जान-माल का बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत की गई है, ताकि क्षतिग्रस्त पुलों एवं सड़कों को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल किया जा सके। भारी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं के कारण लोक निर्माण विभाग को प्रारंभिक आंकलन के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जिला मंडी के पधर में बादल फटने के कारण सड़क अभी भी यातायात के लिए बंद है, जिसे शीघ्र बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त, जिला शिमला एवं कुल्लू में भी राहत एवं बचाव अभियान जारी हैं तथा प्रभावितों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता दी जा रही है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने पधर क्षेत्र का दौरा किया है और प्रभावितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। सर्वाधिक प्रभावित तीन जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला के उपायुक्त आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं। विभाग द्वारा चार नई पोकलेन मशीनें और कुछ जेसीबी तलाशी अभियान को गति प्रदान करने के लिए दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी टीसीपी एवं साडा मापदंडों के अनुरूप सरकार द्वारा नदी नालों से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 का कार्य भी आरम्भ होने वाला है। इसके तहत 100 से 200 तक की आबादी वाले गावों में सड़कें बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को अभी तक किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिली है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से भाजपा के चारों सांसदों से आग्रह किया कि आपदा की इस घड़ी में वे केंद्र के समक्ष हिमाचल के लिए आर्थिक मदद का मुद्दा उठाएं, ताकि जो लोग आपदा में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सके।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह 7 अगस्त को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग से संबंधित कुछ परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। सिरमौर और चौपाल की कुछ परियोजनाएं इनमें शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित समेज का दौरा किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रामपुर में बादल फटने के कारण प्रभावित हुए समेज क्षेत्र का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दुःखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और आपदा प्रभावितों के लिए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आपदा प्रभावित

परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में 50 हजार रुपये और किराए पर आवासीय सुविधा के लिए तीन महीने के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार भोजन, रसोई गैस, कंबल और चूल्हे जैसी मूलभूत वस्तुएं निःशुल्क प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को आश्वासन दिया कि उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए शीघ्र वित्तीय सहायता की घोषणा की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को विस्थापित परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि इन परिवारों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समेज के विद्यार्थियों से भेंट की, जिनके आठ सहपाठी इस घटना के बाद लापता हैं। आठवीं कक्षा के विद्यार्थी राखी और कार्तिक ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस घटना से वे सदमें में हैं और उनका स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को ढाढस बंधाते हुए उन्हें हौसला रखने और परिवार का सहयोग करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर और बड़ा स्कूल फिर से निर्मित किया जाएगा।

समेज की निवासी बिमला देवी ने बादल फटने की घटना वाली भयावह रात को याद करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों के दुःख-दर्द को साझा किया और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। दुःख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आपदा प्रभावितों को भरपूर सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आपदा को झेल रहा हर प्रभावित परिवार मेरे परिवार के सदस्य के समान है और प्रभावित परिवारों के लिए शीघ्र ही आपदा राहत की घोषणा की जाएगी।

उन्होंने जानकारी दी कि समेज में 33 लोग लापता हैं और आपदा में फंसे दस लोगों को सफलतापूर्वक सुरक्षित बचा लिया गया है। इसके अलावा गांव में 38 घर और दो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं।

बाद में समेज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने और भारी बारिश से मानव जीवन और संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इन जिलों में पांच स्थानों पर बादल फटे हैं जिससे क्षेत्र में हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में यातायात और पैदल चलने योग्य 14 पुल, 115 घर, 23 गोशाला, 10 दुकानें और मछली फॉर्म की तीन दुकानें तबाह हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य कर रही है। अब तक आपदा में फंसे 55 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव टीमें दिन-रात जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों को बहाल करने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिये पर्याप्त है उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रान्तिकारी विचार लाने के लिये पर्याप्त है...... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

विकास की अवधारणा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है यह आपदा

हिमाचल प्रदेश में इस बार फिर प्राकृतिक आपदा ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। अभी पिछले वर्ष आयी आपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि फिर इस आपदा ने प्रदेश को ग्रस लिया है। जब आपदा आती है तो सबसे पहले सरकारी तंत्र का पूरा ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाता है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पिछले वर्ष भी आपदा प्रबंधन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने में लगा दिया था और इस बार भी। आपदा में कुल कितना नुकसान हुआ और उसकी भरपाई किन-किन साधनों से की गयी। राज्य सरकार ने अपने साधनों से क्या किया। केंद्र ने कितना सहयोग दिया और जनता ने कितना दिया। इस सबके आंकड़ों पर चर्चा करने से राजनीति तो हो सकती है और शायद हो भी रही है। लेकिन इस चर्चा से कुदरत पसीज नहीं रही है उसका कहर अपनी जगह जारी है। वैसे तो प्रदेश में अनुपातत: वर्षा कम हुई है जिसका असर भविष्य में अलग रूपों में देखने को मिलेगा। लेकिन यह लगने लगा है कि शायद अब हर बरसात में ऐसा ही भोगना पड़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञ इस आपदा को कुदरत का कहर मानने की बजाये इसे मानव निर्मित त्रासदी की संज्ञा दे रहे हैं और यही चिंता और चिंतन का सबसे बड़ा विषय है।

हिमाचल का अधिकांश हिस्सा गहन पहाडी क्षेत्र है। गलेशियरो का प्रदेश है। हर पहाड़ पानी का स्त्रोत है । नदी, नालों का प्रदेश है। इसी पानी की बहुलता और पहाड़ों के नैर्सगिक सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे बिजली ऊर्जा राज्य के रूप में प्रचारित प्रसारित किया गया। हर छोटे-बड़े नदी नाले का अध्ययन हुआ और बिजली उत्पादन की क्षमताओं के आंकड़े आते चले गये। चंबा से लेकर सिरमौर तक 504 छोटी बड़ी विद्युत परियोजना चिन्हित हो गई। यह प्रचारित हो गया कि हिमाचल इस बिजली के सहारे ही आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा। विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल सरकार केंद्र सरकार और प्राइवेट सैक्टर सब कूद पड़े। इन परियोजनाओं के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए। हैडटेल श्रृंखला में दरियाओं का वास्तविक प्रभाव की बदल दिया गया। चंबा में 65 किलोमीटर तक रावी अपने मूल प्रवाह रूट से ही गायब है। अवय शुक्ला की रिपोर्ट में यह सब दर्ज है। परियोजना निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वह जितने पेड़ काटेंगे उसके 10 गुना उन्हें लगाने पड़ेंगे। लेकिन आज तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है कि वास्तव में कटे पेड़ों की जगह कितने नए पेड़ लगाए गए हैं। जहां पर स्थानीय लोगों ने किसी परियोजना का विरोध किया तो उस विरोध को कुचल दिया गया। इन परियोजनाओं से जो पर्यावरणीय बदलाव पैदा हुए हैं आज हो रहे नुकसान का शायद पहला मूल कारण यह परियोजनाएं है। फिर इन परियोजनाओं के आधारभूत ढांचा खड़ा करने और दूसरे उपदान देने में जितना निवेश सरकारें कर चुकी है उसके अनुपात में इनसे मिला रोजगार और राजस्व बहुत कम रह जाता है। आज जहां-जहां बादल फटे हैं उसके आसपास कोई न कोई परियोजना स्थल आवश्यक है जो इस तथ्य की पुष्टि करता है। कैग रिपोर्टों के सारे आंकड़े उपलब्ध है। बिजली बोर्ड और दूसरी पावर कॉरपोरेशन जिस घाटे में चल रही है वह भी इसी दिशा में सवाल उठता है।

विद्युत के साथ ही प्रदेश को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार हो रही है। शहरों से गांवों की ओर होमस्टे की अवधारणा को कार्यरूप दिया जा रहा है। देवी देवताओं की भूमि में हर देवस्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए अपेक्षित अधोसंरचना तैयार करने में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना स्वभाविक है जिसका अंतिम परिणाम भूस्खलनों के रूप में देर सबेर सामने आयेगा। शिमला सहित सारे पर्यटक स्थलों को जिस तरह से कंकरिट के जंगल में बदल दिया गया है उसको लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक प्रदेश सरकारों को फटकार लगा चुका है। एन.जी.टी. ने तो शिमला से राजधानी को भी किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के निर्देश दे रखे हैं लेकिन सरकार पर इन निर्देशों का कोई असर नहीं है। आज सरकारें सिर्फ अपना कार्यकाल किसी न किसी तरह पूरा करने की सोच से आगे बढ़ ही नहीं रही है। शिमला में एक समय रिटैन्शन पॉलिसीयों पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और अब राजधानी शिफ्ट करने के निर्देशों तक की बात पहुंच चुकी है जिस पर अमल नहीं किया जायेगा। शिमला को इस समय जिस तरह से लोहे के जंगल में बदला जा रहा है उससे इसको लेकर आ चुकी भूकंप की चेतावनियां तो नहीं बदल जायेगी। अगर इन आपदाओं से आज कोई सबक नहीं लिया जाता है तो भविष्य में और भी बड़े संकटों के लिए तैयार रहना होगा।

मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 88 प्रतिशत की वृद्धि, अब 731 मेडिकल कॉलेज

2014 से पहले एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 में 118 प्रतिशत की वृद्धि, अब 1,12,112 सीटें

2014 से पहले 31,185 से स्नातकोत्तर सीटों में 113 प्रतिशत वृद्धि, अब 72,627 सीटें

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके बाद एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब 731 हो गई है। इसके अलावा, 2014 से पहले 51,348 से एमबीबीएस सीटों में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब 1,12,112 हो गई है। स्नातकोत्तर सीटों में भी 2014 से पहले 31,185 से अब तक 72,627 तक 133 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों (एनबीईएमएस सीटों को छोड़कर) का विवरण इस प्रकार है:

सत्र		सरकारी मेडिकल कॉलेज	निजी मेडिकल कॉलेज	
	स्नातक सीटें	स्नातकोत्तर सीटें	स्नातक सीटें	स्नातकोत्तर सीटें
2021-22	48212	28260	43915	17858
2022-23	51912	30211	44365	19362
2023-24	56300	33416	52640	21418

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं।

i) जिला/ रेफरल अस्पताल को अपग्रेड करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 109 पहले से ही कार्यात्मक हैं।

ii) एमबीबीएस (स्नातक) और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/ केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मजबूत/उन्नत करने के लिए सीएसएस, जिसके तहत 5,972.20 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 83 कॉलेजों में 4,977 एमबीबीएस सीटें, 1,498.43 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से चरण-I में 72 कॉलेजों में 4,058 पीजी सीटें और 4,478.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से चरण-II में 65 कॉलेजों में 4,000 पीजी सीटें बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान किया गया है।

iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक 'सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन' के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 66 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv) नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

v) शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

vi) मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/ डीन/ प्रिंसिपल/ निदेशक के पदों पर नियुक्ति/ विस्तार/ पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक है

शिमला। वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर पहुंचने के बाद, देश में लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों के उत्पादन में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि जारी रही है। मूल्य के आधार पर कुल एमसीडीआर खनिज उत्पादन में लौह अयस्क और चूना पत्थर का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का उत्पादन 275 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और चूना पत्थर का उत्पादन 450 एमएमटी था।

अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अलौह धातु क्षेत्र में, वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 10. 28 लाख टन (एलटी) थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। चालू वित्त वर्ष में लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में निरंतर वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योगों जैसे इस्पात और सीमेंट में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है। एल्युमीनियम में वृद्धि के साथ, ये विकास रुझान ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निर्माण, ऑटोमोटिव और मशीनरी जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों में निरंतर सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि की ओर संकेत करते हैं।

लौह अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 72 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 79 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हो गया है, जो 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चूना पत्थर का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 114 एमएमटी से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 116 एमएमटी हो गया है, जो 1. 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मैंगनीज अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 11 प्रतिशत बढ़कर 1.0 एमएमटी हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 0.9 एमएमटी था।

नये आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताएं

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) 25 दिसम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। धारा 106 की उप-धारा (2) के प्रावधान और बीएनएसएस और बीएसए की पहली अनुसूची में बीएनएस की धारा 106 (2) से संबंधित प्रविष्टि को छोड़कर, बीएनएस के प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गये हैं।

नये आपराधिक कानूनों की मुख्य बातें अनुलग्नक-। में दी गई हैं।

बीएनएसएस की धारा 478 से 496 में जमानत और बांड से संबंधित प्रावधानों का विवरण है

जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए बीएनएस, 2023 और बीएनएसएस, 2023 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

बीएनएसएस की धारा 290 में दलील देने को समयबद्ध बनाया गया है और आरोप तय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 293 में प्रावधान है कि जहां आरोपी पहली बार अपराधी है और उसे पहले किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, तो न्यायालय ऐसे आरोपी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक-चौथाई/ एक-छठा हिस्सा दे सकता है।

विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि बीएनएसएस, 2023 की धारा 479 में निर्धारित की गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है (जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है), उसे न्यायालय द्वारा बांड पर रिहा किया जाएगा, यदि वह उस कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के एक तिहाई तक की अवधि के लिए हिरासत में रह चुका है। इसके अलावा, जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में न्यायालय में आवेदन करे।

पहली बार, सामुदायिक सेवा को बीएनएस, 2023 की धारा 4 में दंड के रूप में शामिल किया गया है।

अनुलग्नक-।

नये आपराधिक कानून की मुख्य विशेषताएं

नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं, जो व्यक्तिगत अधिकारों और सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करते हैं।

ऑनलाइन घटनाओं की रिपोर्ट करें: अब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है, इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कारवाई की सुविधा मिलती है।

किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करें: जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म हो जाती है और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होता है।

एफआईआर की निःशुल्क प्रति: पीड़ितों को एफआईआर की निःशुल्क प्रति मिलेगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

गिरफ्तारी के समय सूचना देने का अधिकार: गिरफ़्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ़्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा।

गिरफ्तारी की सूचना का प्रदर्शन: गिरफ्तारी का विवरण अब पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्रों को महत्वपूर्ण जानकारी तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।

फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी: मामले और जांच को मजबूत करने के लिए, फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों पर जाना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। यह दोहरा दृष्टिकोण जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन में योगदान देता है।

त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज करने के दो महीने के भीतर जांच पूरी हो सके।

पीड़ितों को प्रगति अपडेट: पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति के बारे में अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान पीड़ितों को सूचित रखता है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

पीड़ितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार: नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार की गारंटी देते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों की भलाई और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है।

इलेक्ट्रॉनिक समन: अब समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कारवाई कम होगी और सभी संबंधित पक्षों को प्रभावशाली तरीके से सूचना मिल सकेगी।

महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान: महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराधों के लिए, पीड़िता के ब्यान, जहां तक ''संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में, महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़ितों के लिए एक सहायक वातावरण बन सके।

पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति: आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट/आरोपपत्र, ब्यान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।

सीमित स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए अदालतें अधिकतम दो स्थगन देती हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित होता है।

गवाह संरक्षण योजना: नए कानून में सभी राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना लागू करने का निर्देश दिया गया है ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित किया जा सके तथा कानूनी कार्यवाही की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।

लिंग समावेशिता: 'लिंग' की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं, जो समावेशिता और समानता को बढ़ावा देता है।

सभी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में: सभी कानूनी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करके, नए कानून पीड़ितों, गवाहों और अभियुक्तों को सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और तेज हो जाती है।

ब्यानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग: पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता लागू करने के लिए, पुलिस द्वारा पीड़िता का ब्यान ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

पुलिस स्टेशन जाने से छूट: महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा विकलांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध: बीएनएस में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिससे केंद्रित सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित हो सके।

लिंग-तटस्थ अपराध: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराधों को बीएनएस में लिंग-तटस्थ बना दिया गया है, जिसमें लिंग की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल किया गया है

सामुदायिक सेवा: नए कानून में छोटे-मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। सामुदायिक सेवा के तहत, अपराधियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत सामुदायिक बंधन बनाने का मौका मिलता है।

अपराधों के लिए जुर्माने का समायोजन: नए कानूनों के तहत, कुछ अपराधों के लिए लगाए गए जुर्माने को अपराध की गंभीरता के अनुसार समायोजित किया गया है, ताकि निष्पक्ष और आनुपातिक दंड सुनिश्चित हो सके, भविष्य में अपराध करने से रोका जा सके और कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे।

सरलीकृत कानूनी प्रक्रियाएं: कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि उन्हें समझना और उनका पालन करना आसान हो सके, जिससे निष्पक्ष और सुलभ न्याय सुनिश्चित हो सके।

तेज़ और निष्पक्ष समाधान: नए कानून मामलों के तेज़ और निष्पक्ष समाधान का वादा करते हैं, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास पैदा होता है।

यह बात गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

शिक्षा के क्षेत्र में नवोन्मेष और नवाचार से उज्ज्वल बनाया जा रहा विद्यार्थियों का भविष्य

शिमला। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं ताकि विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दें और हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी राज्य बनकर उभरें।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 1029 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 498 कला संकाय, 335 नॉन मेडिकल और 196 मेडिकल संकाय के शिक्षक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र और लेक्चरर के 486 पद, स्कूल कैडर प्रिंसिपल के 157 पद और विशेष देखभाल वाले बच्चों के स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरे गए हैं।

प्रदेश सरकार शैक्षणिक अधोसंरचना को भी सुदृढ़ कर रही है जिसके तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं और आधुनिक पुस्तकालय शुरू किए गए हैं। 850 शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा किया गया है और वर्चुअल क्लासरूम और होस्टल सुविधा प्रदान की जा रही है। यह कदम सरकार की दूरगामी सोच के परिचायक हैं। खेल से स्वास्थ्य योजना के तहत 110 शैक्षणिक संस्थानों को स्पोर्ट्स मैट और अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 40 हजार स्कूल डेस्क और 29 सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए महज एक फीसदी ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। चार लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब तक इस योजना के तहत 5.25 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं ताकि धनराशि की कमी विद्यार्थियों के सपने साकार करने में बाधा न बने।

राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्ष 2022-23 में 81,618 विद्यार्थियों को 5419.29 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। श्री निवास रामानुजन विद्यार्थी योजना के तहत 10वीं, 12वीं और महाविद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को 11,552 टैबलेट प्रदान किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता हासिल करें और भविष्य की नवीन तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहल के तहत विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्मार्ट और वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं। सरकार उच्च विद्यालय छोटा शिमला, सलोह (ऊना) और उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली आठ करोड़ रुपये के बजट के साथ पूरी तरह से स्मार्ट विद्यालयों और महाविद्यालयों में परिवर्तित किए जा चुके हैं। सीखने का अनुभव बेहतर बनाने के लिए इन शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक पुस्कालय स्थापित किए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने पोस्ट ग्रजुएट कैलेंडर की शुरूआत करते हुए स्नातकोत्तर शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक वार्षिक गतिविधि योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 के अकादमिक सत्र से वार्षिक अध्ययन दिवसों को 180 से 210 करना है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सुधार के लिए एकीकृत परीक्षण तंत्र स्थापित किया गया है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष में दो जॉब फेयर आयोजित करना अनिवार्य किया है, इनमें स्थानीय विशेषज्ञों और उद्यमियों को शामिल करते हुए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है।

कम विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालयों का विलय और वर्ष में अकादमिक सत्र के दौरान तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला विद्यार्थियों के हितों के मद्देनजर लिया गया है। सरकार के इस रणनीतिक कदम से संसाधनों का अनुकूलन और शिक्षा का समावेश सुनिश्चित होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार और सीपीआर में प्रशिक्षण के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार ने शिक्षकों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की पहल की है। इस पहल के तहत पहले चरण में 200 शिक्षक सिंगापुर के भ्रमण पर गए और वहां शैक्षणिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जन किया। इसके अलावा अन्य 200 शिक्षक केरल और अन्य राज्यों में शैक्षणिक अनुभव हासिल कर लौटे हैं।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानक कायम करना, सुविधाओं से शिक्षकों के ज्ञान को तराशकर भविष्य के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करवाने का मंच प्रदान करना है।

शिक्षा के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए व्यापक स्तर पर किए जा रहे यह सुधार को सरकार के समपर्ण और प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। सरकार के इन महत्त्वाकांक्षी प्रयासों से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा जोकि आत्मनिर्भर बनने की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

डॉ. यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती मनाई गई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर शिमला में हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉ. परमार एक महान और दूरदर्शी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. परमार का सम्पूर्ण जीवन हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित रहा है। वर्तमान में प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है, यह डॉ. परमार का सपना था। डॉ. परमार ने प्रदेश का इतिहास ही नहीं, बल्कि भूगोल को भी बदला। उन्होंने प्रदेश की सीमाओं को और बड़ा किया। हिमाचल का अस्तित्व डॉ. परमार की अतुलनीय देन है।

उन्होंने कहा कि डॉ. परमार को हिमाचल की संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें पर्यावरण से बहुत लगाव था। उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी सम्पदा वनों के संरक्षण को सदैव ही अधिमान दिया। डॉ. परमार ने प्रदेश को हरित राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हमें डॉ. परमार के सिद्धांतों और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। आर्थिक तंगी के बावजूद प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार द्वारा हर क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं। शिक्षा, जल विद्युत, पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में अनेक नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं। सरकार द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नीतिगत

बदलाव लाए जा रहे हैं। बेहतर प्रबन्धन के फलस्वरूप इस वर्ष सरकार ने 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। प्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ. अंशुक अत्री व डॉ. राजेन्द्र अत्री द्वारा लिखित पुस्तक 'परमार: हिमाचल के शिल्पकार' और डॉ. अंशुक अत्री द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक 'द क्राफ्टिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश' का विमोचन किया।

उन्होंने डॉ. परमार की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने रिज मैदान स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉ. परमार की जीवनी पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डॉ. परमार को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्वरूप में डॉ. परमार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन डॉ. यशवंत सिंह परमार ने उन चुनौतियों का मजबूती से सामना किया और प्रदेश को बड़ी-बड़ी बाधाओं से बाहर निकाला।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने में डॉ. परमार की अहम भूमिका रही है। उनके द्वारा प्रदेश हित में किए गए कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से भी प्रदेश को नई दिशा दी। वर्तमान सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की परिकल्पना के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रही है। डॉ. परमार की दूरदर्शी सोच को साकार किया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि डॉ. परमार ने हर क्षेत्र में प्रदेश के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने सदैव ही हिमाचल की संस्कृति का संरक्षण और संवर्द्धन किया तथा प्रदेश को विशेष पहचान दिलाई।

विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार के प्रति हर व्यक्ति आदर और श्रद्धा का भाव रखता है। वह सादगी, सच्चाई और ईमानदारी के धनी थे। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। डॉ. परमार ने विकसित हिमाचल की परिकल्पना की और आज हम निरंतर इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा डॉ. यशवंत सिंह परमार के जीवन पर आधारित वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया।

इस बरसात में अब तक जल शक्ति विभाग को 196 करोड़ रुपये का नुकसान

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में हो रही भारी बरसात से अब तक जल शक्ति विभाग को 196 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। बीते दिन बादल फटने और भारी बारिश से विभाग को 44 करोड़ रुपये का नुकसान और 352 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि कुल्लू और शिमला जिलों में विभाग की जलापूर्ति योजनाओं को सबसे ज्यादा क्षति हुई है। शिमला के मतियाना क्षेत्र की कुर्पन योजना के पंप हाउस, मशीनरी और पाइपों के बह जाने से विभाग को करीब 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। रामपुर पेयजल योजना का स्रोत एवं पाइप फटने से विभाग को करीब आठ करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कुछ योजनाओं को एहतियात बरतते हुए हालात के मद्देनजर बंद किया जा रहा है। पेयजल योजनाओं में गाद न भरे और लोगों को पेयजल आपूर्ति निर्बाध जारी रहे, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आगामी आदेशों तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कुल प्रभावित 2,421 योजनाओं में से 1,438 बहाल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

10 माह में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 राजस्व मामलों का निपटारा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेशभर में अक्तूबर, 2023 से जुलाई, 2024 के मध्य राज्य सरकार द्वारा विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,63,268 इंतकाल, 9,417 तकसीम, 12,453 निशानदेही और 2,427 राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने वर्षों से पड़े राजस्व मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन कर मिशन मोड में कार्य किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में 30 और 31 जुलाई, 2024 को 10,746 इंतकाल, 408 तकसीम और 541 निशानदेही के मामले निपटाने के साथ-साथ 131 राजस्व त्रुटियों को सुधारा गया। इसके अतिरिक्त जुलाई, 2024 में 16,514 इंतकाल, 554 तकसीम और 2,142 निशानदेही तथा 464 राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया और जुलाई माह में 31,500 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इन अदालतों के माध्यम से घर-द्वार पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है और राजस्व लोक अदालतों की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि लोग इस सुविधा का बढ़-चढ़ कर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से वर्षों से लंबित पड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही आमजन को राहत मिल रही है और लंबित राजस्व मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अक्तूबर, 2023 से राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवस में इन लोक अदालतों का आयोजन कर लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया जाता है ताकि लोगों को राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

विद्युत की शेड्यूलिंग से प्रदेश को होगी प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की आय

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को विद्युत की शेड्यूलिंग निधारण और बेहतर लेखा प्रबंधन से प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की आय होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सी.ई.आर.सी. ने विद्युत उत्पादन केंद्रों के बस बार से मुफ्त बिजली की शेड्यूलिंग और लेखा प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए एक नई प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रक्रिया हिमाचल के लिए 9 अगस्त, 2024 से लागू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा की नई प्रक्रिया के लागू होने के उपरांत प्रदेश को सेंटर सेक्टर की विद्युत परियोजनाओं सेअपनी अधिकारिक मुफ्त बिजली के हिस्से को सीधे उत्पादन केंद्र से बस बार आधार पर बेचने का अधिकार प्राप्त होगा, जिससे विद्युत की सटीक शेड्यूलिंग और लेखांकन हो पाएगा। सीधे उत्पादन केंद्र से अपने हिस्से की बिजली बेचने से ट्रांसमिशन शुल्क की बचत होगी और अन्य कई तरह के नुकसान भी न्यूनतम होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादन केंद्रों के बस बार से मुफ्त विद्युत की शेड्यूलिंग और लेखा प्रबंधन से विद्युत का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। विद्युत परियोजना के कार्यशील होने के उपरांत ट्रांसमिशन शुल्क की अदायगी की जाती है। हिमाचल में अनेक परियोजनाएं दशकों से कार्यशील हैं। इस प्रक्रिया के लागू होने से राजस्व बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आय सृजन के साधनों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। संसाधनों की बचत और उनके कुशल प्रबंधन के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहे हैं। वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित किया जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है ।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत प्रबंधन की इस नई प्रक्रिया के लागू होने से नाथपा झाकड़ी और रामपुर विद्युत परियोजनाओं में गाद की समस्या आने के दौरान प्रदेश को विद्युत कट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस दौरान राज्य अपने शेड्यूल को संशोधित नहीं कर सकता है। प्रदेश सरकार इस प्रक्रिया को लागू करने की निरंतर पैरवी कर रही थी। सीईआरसी विनयमन के अनुसार प्रदेश के लिए आवंटित जनरल नेटवर्क एक्सेस 1130 मेगावाट है। इस सीमा के उपरांत हिमाचल प्रदेश अंतर राज्य उत्पादन केंद्रों से विद्युत का शेड्यूल नहीं कर सकता है, जिससे विद्युत की कटौती होती है। इस प्रक्रिया के लागू होने से प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

राज्य में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन और ऊर्जा विभाग के विद्युत प्रबंधन करने की एकल ट्रेडिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य एजेंसियों से बेहतर समन्वय स्थापित कर रहा है, जिससे परिणाम स्वरूप राज्य में विद्युत प्रबंधन व आय सृजन संसाधनों में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र द्वारा अप्रैल, 2024 से जुलाई, 2024 तक विद्युत विक्रय से पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले सरकार को 300 करोड़ रुपये की अधिक आय हुई है।

बल्क ड्रग पार्क में अवसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ जारी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊना जिले के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में अवसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री उद्योग विभाग की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्माण से संबंधित सभी विभागों और एजेंसियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में स्थल विकास, सड़कें, डिस्चार्ज ट्रीटमैंट संयंत्र, भाप उत्पादन, डक्टिंग सहित विभिन्न संरचनाओं का विकास कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि इन सभी संरचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए। विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही कार्य योजना पर दृढ़ता से आगे बढ़ा जाए।

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की अन्य विभिन्न परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की तथा निविदा, वित्तीय संसाधन, भूमि हस्तांतरण आदि मामलों को लेकर तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ समयबद्ध आम लोगों को सुनिश्चित किया जा सके।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विभाग की परियोजनाओं में हरित हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के दृष्टिगत दृढ़ता से कार्य किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विकसित हिमाचल की अवधारणा को पूरा करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं।

बैठक में प्रधान सचिव उद्योग आर. डी. नजीम, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समेज में जो हुआ वह न कभी सोचा भी नहीं जा सकता:जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला के आपदा प्रभावित समेज के दौरा किया। इस दौरान वह आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों और रिश्तेदारों से भी मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। राहत और बचाव कार्य का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि समेज में जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 36 लोग लापता है। जहां एक हंसता खेलता गांव था, अब वहां त्रासदी की निशान रह गये हैं। लापता लोगों के परिजनों से मिलकर भवनों पर नियंत्रण रखना भी मुश्किल हो गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंख नम है। तीन दिन से अपने लोगों की तलाश में लोगों की आंखे पथरा गई है लेकिन हौसला क़ायम हैं। सरकार से आग्रह है कि तलाशी अभियान को और तेज किया जाए। जिससे लापता लोगों को जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। समेज की स्थिति हृदय विदारक है। हर किसी को अपने लोगों की तलाश हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह सभी को साहस दें।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तलाशी अभियान के साथ ही साथ आपदा से बच गये लोगों की तत्काल सहायता के लिए राहत शिविरों और ज़रूरी संसाधनों की व्यवस्था करे। बीते कल कुल्लू के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पर लोगों ने इन सुविधाओं के न होने के बारे में बताया, इसलिए सरकार से आग्रह है कि आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित लाभ के लिए भी आवश्यक प्रबंध करे, इसके साथ ही आगे की बारिश में इस तरह के हादसों से बचने और जनहानि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए, इसमें विपक्ष सरकार का हर सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार आपदा में प्रभावित हुए लोगों को भी पिछले बार की आपदा प्रभावितों की तरह ही मुआवज़ा दिया जाए, जिससे वह नए सिरे से शुरुआत कर सकें।

इस दौरे के दौरान उनके साथ कौल नेगी, बंजार विधायक सुरेन्द्र शौरी, आनी विधायक लोकेंद्र कुमार समेत स्थानीय लोग उपास्थित रहे।

रामपुर से समेज के लिए रवाना की राहत सामग्री से भरी गाड़ियां

नेता प्रतिपक्ष ने रामपुर से आपदा प्रभावित क्षेत्र समेज के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामकृष्ण मिशन के सौजन्य से भेजी गई राहत सामग्री में बिस्तर और राशन के साथ बर्तन के सेट भी शामिल था। उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त लोगों की मदद करने लिए भारी संख्या में आम लोग और ग़ैर सरकारी संस्थाएं आगे आ रहे हैं और तन-मन-धन से सहयोग कर रहे हैं। आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए आगे आने के लिए लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए कम हैं। सभी लोग बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने 25 पेट्रोलिंग मोटर साइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चौड़ा मैदान, शिमला से यातायात के सुचारू संचालन और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत शिमला और नूरपुर पुलिस जिला के लिए हाई विज़िबिलिटी क्षमता की 25 पेट्रोलिंग मोटर साइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक नवीन कदम उठाए गए हैं। प्रथम चरण के दौरान लगभग 3.72 करोड़ रुपये की लागत से शिमला के लिए 19 और नूरपुर पुलिस जिला के लिए छः पेट्रोलिंग मोटर साइकिलें प्रदान की गई हैं। शिमला जिला में पुलिस के लिए 30 हैंडहेल्ड स्पीड गन, 10 बॉडी वॉर्न कैमरे, 18 एल्को सेंसर, 30 वाहन संचालित गति संकेतों की स्थापना, 80 विस्तार योग्य अवरोध, 225 रिफ्लेक्टिव जैकेट, 115 रिचार्जेबल बैटन, 200 ट्रैफिक कोन, 70 इंटरलॉकिंग प्लास्टिक बैरिकेड और 30 सर्च लाइट उपलब्ध करवाई गई हैं। इसी तरह कांगड़ा और मंडी जिलों में सड़क सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यातायात प्रवर्तन, निगरानी, बचाव और सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया में पुलिस की क्षमता में सुधार के लिए 27 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खरीद की जा रही है। उपकरणों में राजमार्ग पेट्रोलिंग के लिए शिमला, कांगड़ा और मंडी के लिए 42 चार पहिया वाहन और कांगड़ा और मंडी के लिए 27 दो पहिया वाहन, क्षेत्र प्रवर्तन के लिए 14 इंटरसेप्टर वाहन, बचाव कार्यों के लिए रेकर वाहन और हैंडहेल्ड स्पीड गन, बचाव कार्यों के लिए हाइड्रोलिक उपकरण, आपातकालीन बैग, वाहन संचालित गति संकेत सहित विभिन्न उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इन उपकरणों की खरीद मार्च, 2025 से पहले पूरी कर ली जाएगी और इन्हें शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों के पुलिस स्टेशनों में वितरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए विभिन्न गश्त निगरानी बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण खरीदने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 61.57 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। यह प्रणाली शिमला, कांगड़ा, मंडी जिलों में विभिन्न सड़कों पर 214 चिन्हित स्थानों पर एआई सुविधा से लैस 532 कैमरों से जुड़ी होगी।

उन्होंने कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना, पुलिस के लिए गश्त, सड़क सुरक्षा प्रवर्तन में सुधार के लिए उपकरणों की खरीद सहित पुलिस और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राज्य सरकार के प्रयासों से शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना चरण-2 की मिली मंजूरी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम चरण-2 के तहत किन्नौर जिले में शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना के लिए लगभग 85 बीघा जमीन के उपयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह स्वीकृति केंद्र सरकार के पास वर्ष 2018 से लंबित थी। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए पुल निर्माण करने को इस भूमि की आवश्यकता थी। सुक्खू ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत यह स्वीकृति केंद्र सरकार के पास लंबे समय से विचाराधीन थी, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने कड़े प्रयास करते हुए स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा।

केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति 19 मार्च, 2024 को प्रदान की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने आवश्यक नियमों व शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट सैद्धांतिक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सौंपी और केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति के लिए आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी और राज्य की आर्थिकी को सु ढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। 450 मेगावाट शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य 2012 में अवॉर्ड किया था, जो नवंबर, 2026 तक पूरा होना है। उन्होंने कहा कि परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है। परियोजना का कार्य समय पर पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ जल विद्युत का दोहन करना प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला प्रमुख क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न पहलों से प्रदेश में हरित उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिससे यह राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम हो सके।

केंद्र सरकार संकट की स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध:नड्डा

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण हुए विनाशकारी नुकसान और जनजीवन के अस्त-व्यस्त होने के दुःखद समाचार पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर वार्तालाप इस प्राकृतिक आपदा की विकट परिस्थितियों की जानकारी ली और प्रधानमंत्री की ओर से हर संभव मदद करने आश्वासन दिया। उन्होंने इस संकट की स्थिति में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहने और उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया।

नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है और इस कठिन समय में उनकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से भी बात की और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में तुरंत जुटने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा संकट की स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इस समय भी वे हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन करने और राहत कार्यों को तेजी से चलाने के लिए भाजपा की एक टीम हिमाचल प्रदेश भेजी जाएगी, जो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिले। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वे इस कठिन समय में एकजुट हों और साथ में काम करें। पिछले वर्ष भी हिमाचल में आपदा के दौरान नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करके मोदी सरकार द्वारा राज्य को सहायता उपलब्ध कराई थी। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस संकट की स्थिति से निकलने के लिए एकजुट होकर कार्य करेगी और आम जनजीवन को पुनः दुरुस्त करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

देश में चंद बड़ी कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा नौकरियां घट रहीं: विज

शिमला। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अमित विज ने निफ्टी की 500 कंपनियों पर आई रिपोर्ट पर कहा कि कंपनियों का मुनाफा 2023 की तुलना में 2024 में 30% बढ़कर 10.88 लाख करोड़ रुपये से 14.11 लाख करोड़ रुपये हो गया, लेकिन इन कंपनियों में रोज़गार में कमी क्यों हो रही है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है व चिंता का विषय है।

यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ऐसी नीतियाँ लागू करनी चाहिए जो मुनाफ़े के साथ-साथ रोज़गार सृजन भी करे, जिससे देश की बेरोजगारी की समस्या का हल हो सके।

उन्होंने कहा जब सरकार बड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर लाभ व सहूलियतें दे रही है, तो वे छोटी कंपनियों से रोजगार देने की उपेक्षा कैसे कर सकती, जब उन्हें न्यूनतम समर्थन भी न के बराबर मिलता है। उन्होंने कहा ये अवास्तविक है कि छोटे व्यवसाय, जो पिछले दशक से संघर्ष कर रहे हैं, रोज़गार भी उत्पन्न करें।

विज ने कहा ये मोदी सरकार को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कारवाई करनी चाहिए ताकि कंपनियों द्वारा एआई के उपयोग से मुनाफ़ा तो बढ़े पर नौकरियों का नुकसान न हो। उन्होंने कहा धन का समान वितरण होना चाहिए व गरीब लोगों को उचित अधिकार मिलने चाहिए।

उन्होंने कहा सरकार को सुझाव देते कहा कि उन छोटी कंपनियों का समर्थन व कर लाभ देने पर तुरंत विचार करना चाहिए जो अपने मुनाफे के अनुपात में रोजगार उत्पन्न करती हैं और बंद होने के कगार पर खड़ी है। उन्होंने कहा मोदी सरकार इस बात की जबावदेय है कि एनएसई में सूचीबद्ध लगभग 2,000 कंपनियों में से केवल 50 से 60 कंपनियाँ ही अधिकतम लाभ कमा रही हैं। इसके अलावा, 2022 के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में पंजीकृत 22 लाख छोटे व्यवसायों में से केवल 14 लाख ही सक्रिय रूप से व्यवसाय कर रहे हैं। शेष 8 लाख कंपनियों का क्या हुआ, और इन छोटे व्यवसायों की संपत्ति किसने हड़पी?

उन्होंने देश की जनता से भी अपील की कि वे इन मुद्दों को समझे और अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाए।

उन्होंने कहा यदि केंद्र की भाजपा सरकार ने इस पर प्रभावित ढंग़ से हल न किया तो देश की जनता हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले आगामी विधान सभा चुनावों में एक बार फिर से सबक सिखाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

भ्रष्टाचार से समझौता करके वित्तीय संकट नहीं सुधारा जा सकता

> ➢ योजनाएं बन्द करना कोई हल नहीं है
> ➢ प्रतिव्यक्ति बढ़ते कर्ज पर रोक लगानी होगी

शिमला/शैल। इस समय प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज 116180 रुपए पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति कर्ज में हिमाचल प्रदेश अरुणाचल के बाद देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। कर्ज का यह आंकड़ा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने स्वीकारा है। अवैध खनन को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पिछले वर्ष आयी आपदा में कुल्लू के संदर्भ में एक बड़ा कारण बताया था। इस अवैध खनन पर ईडी हमीरपुर के नौदान और कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र में दस्तक दे चुकी है। अब अवैध खनन के आरोप सीपीएस रामकुमार तक पहुंच गये हैं। आयुष्मान भारत कार्ड में हुये फर्जीवाड़े पर भी हिमाचल के कांगड़ा, ऊना, मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में ईडी छापेमारी कर चुकी है। ईडी की इस छापेमारी के बाद सरकार ने पहली सितम्बर से हिमकेयर योजना को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिये हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं खुलासा किया है कि हिमकेयर योजना में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। चौबीस हजार के हर्निया ऑपरेशन के इस हिमकेयर कार्ड के माध्यम से एक लाख वसूले गये हैं। लेकिन हिमकेयर के फर्जीवाड़े पर सरकार ने कोई जांच आदेशित नहीं की है। अवैध खनन मामलों पर जब ईडी दस्तक दे सकती है तो प्रदेश सरकार इस पर जांच क्यों नहीं बैठा पायी? ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां सरकार मानती है कि घपला तो हूआ है पर व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र के कारण जांच आदेशित नही हो पायी। इसलिए यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर भ्रष्टाचार को लेकर इस सरकार का स्टैंड क्या है?

स्मरणीय है कि जब राजन सुशांत राजस्व मंत्री थे तब सरकार ने सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को नियमित करने की योजना अधिसूचित की थी। इस योजना के तहत अवैध कब्जाधारकों से स्वयं शपथ पत्र पर ऐसे कब्जों की जानकारी मांगी गयी थी। उसे समय करीब एक लाख ऐसे शपथ पत्र सरकार के पास आ गये थे। जैसे ही इन अवैध कब्जों को नियमित करने के लिये प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ लोगों ने यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा दिया। उच्च न्यायालय ने इस प्रस्तावित नियमितीकरण पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिये और योजना वहीं पर बंद हो गयी। लेकिन इस योजना के तहत जिन लोगों ने अपनी इच्छा से शपथ पत्र देकर अवैध कब्जों का खुलासा किया था उनका आज तक क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसी तरह वन भूमि पर अवैध कब्जे करके बनाये गये सेब बगीचों को लेकर मामला सामने आया। कुछ दिन कुछ लोगों के खिलाफ कारवाई शुरू हुई। उनके सेब के पेड़ काटे गये लेकिन फिर यह कारवाई रुक गयी। करीब 80,000 मामले उस समय चर्चा में आये थे। अब इन मामलों पर भी उच्च न्यायालय का ध्यान गया है और फैसले आने लगे हैं। लेकिन सरकार के अपने स्तर पर कोई कारवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस जोर और शोर के साथ कतई बर्दाश्त न करने के संकल्प हर सरकार दोहराती आयी है उस अनुपात में जमीन पर कभी कोई कारवाई अमल में नहीं आ पायी है।

स्मरणीय है कि 31 अक्तूबर 1997 को भ्रष्टाचार के खिलाफ बाकायदा एक ईनाम योजना अधिसूचित की गयी थी। इसमें शिकायत आने पर एक माह के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया रखी गयी थी। इस योजना के तहत कितनी शिकायतें और कितने मामलों में प्रारंभिक जांच पूरी हुई इसका कोई रिकॉर्ड तक सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। बल्कि वर्तमान में यह अधिसूचना अभी भी लागू है या इसको वापस ले लिया गया है इसकी जानकारी तक विभाग को नहीं है। इसी योजना के तहत आयी एक शिकायत का मामला एक संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस पर कड़ा फैसला सुनाया था। जिस पर राज्य सरकार को अमल करना था। जो आज तक नहीं हुआ है। इसी तरह बसपा परियोजना जल विद्युत बोर्ड से लेकर जे.पी. उद्योग को दी गयी थी तब उस पर बिजली बोर्ड करीब सोलह करोड़ खर्च कर चुका था। तब यह फैसला हुआ था कि जे. पी. बोर्ड के इस निवेश को ब्याज सहित वापस करेगा। लेकिन जब रकम व ब्याज सहित 92 करोड़ हो गयी तब इसे यह कह कर बट्टे खाते में डाल दिया गया। यह तर्क दिया गया कि यदि यह रकम जे.पी. से वसूली जायेगी तो इसका बोझ फिर जनता पर पड़ेगा। कैग की कड़ी आपत्तियों का भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ।

आज सरकार वित्तीय संकट के कगार पर खड़ी है। हिमकेयर जैसी योजनाएं बंद करनी पड़ रही है। कई कर्मचारी वर्गों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। सेवाओं और वस्तुओं के दाम महगे करने पड़ रहे हैं। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की सारी घोषणाएं ब्यानबाजी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक व्यवहारिक रूप से कदम नहीं उठाये जाएंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही प्रताड़ित करने की राह पर चल रही है और कर्ज लेकर घी पीने की कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है।

इलाज रोकने के बजाये घोटाला करने वालों पर कारवाई करे सरकार:जयराम ठाकुर

> ➢ आपदा प्रभावितों को मिले राहत पैकेज के तहत मिले सहायता
> ➢ समस्याओं का समाधान करने के बजाये हिमकेयर बंद करना हल नहीं
> ➢ ब्यास नदी की का चैनलाईजेशन के नाम पर हुई लूट तो क्यों ख़ामोश रही सरकार

शिमला/शैल। शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में

आयी आपदा से भारी तबाही हुई है। आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से राहत पैकेज के तहत ही धनराशि उपलब्ध करवाई जाये, क्योंकि जन और धन की बहुत हानि हुई है। चाहे इस साल की आपदा हो या पिछले साल की, नुक़सान को एक नज़र से ही देखना होगा। सभी जगहों पर राहत और बचाव कार्य और तेज करने की आवश्यकता है। जिससे लापता लोगों को जल्दी से जल्दी तलाशा जा सके। सभी प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। केंद्र सरकार सहयोग कर रही है और आगे भी करेगी। प्रधानमंत्री से जब मैं मिला तो उनके पहले शब्द ही यही थे कि हिमाचल को क्या हो गया। इस बार भी इतनी बड़ी त्रासदी चिंता का विषय है। उन्होंने हर प्रकार से प्रदेश के सहयोग का भरोसा दिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने हिम केयर को निजी अस्पतालों में बंद करने के सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री संवेदनहीन बातें कर रहे हैं। यदि किसी निजी अस्पताल में किसी तरह का घोटाला हुआ है तो सरकार उसके खिलाफ़ तय क़ानून के तहत कारवाई करे। मॉनिटरिंग की व्यवस्था को मज़बूत करे। निर्धारित नियम बनाए और कठोर कारवाई करे। प्रक्रिया में कहीं कोई ख़ामी है तो उसे और पारदर्शी बनाया जाये। लेकिन सरकार को बंद करने में ही सुख मिलता है। यदि किसी व्यवस्था में कोई ख़ामी है, तो उससे दुरुस्त किया जाता है। सरकारी अस्पताल में कितनी लंबी लाइनें हैं। एमआरआई और सीटी-स्कैन के लिए छः महीने के बाद की तारीख़ें मिल रही हैं। जिस मरीज़ को तत्काल इलाज की आवश्यकता होगी तो क्या वह सरकारी अस्पताल के महीनों बाद की तारीख़ों का इंतज़ार करेगा या जहां पर उसे इलाज मिलेगा, वहीं पर अपना इलाज करवाएगा। कुछ फ़ैसले लेते वक्त संवेदनशीलता दिखानी होती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाई। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि किसी बीमारी से परेशान मरीज़ को इस फ़ैसले से कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पिछले साल के हादसे से कोई सबक़ नहीं सीखा। पिछले साल ब्यास में आयी त्रासदी के बाद कई जगह पर बजरी और रेता जमा होने से ब्यास की धारा में परिवर्तन हो गया था, जिसे सही करने के लिए सरकार ने टेंडर जारी किए। सरकार ने बहुत सारा पैसा मलबे को हटाने के लिए खर्च किया। टेंडर लेने वालों ने करोड़ों रुपए की बज़री और रेता बेचकर कमाये लेकिन ब्यास की हालत जस की तस ही रही। ब्यास इस बार फिर उसी पुराने ढर्रे पर बह रही है, जिससे नुक़सान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इतना सब कुछ होता रहा लेकिन सरकारी महकमें ने इनके खिलाफ़ कारवाई करने के बजाये आंखे बंद कर ली। यह आंखे क्यों बंद की गयी, इसके पीछे कौन से लोग ज़िम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री को स्वयं इसका जवाब देना चाहिए। ब्यास की परिवर्तित धारा की वजह से जो नुक़सान होगा उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार ज़िम्मेदार है।